

प्रेस नोट दिनांक 15.09.2020

1. दिनांक 14.09.20 को वादी श्री आनन्द मांझी पुत्र नरपत लाल नि० अशर्फी भवन चौराहा थाना रा०ज०भू० अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 42 टी 3164 का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के भाई को टक्कर मार देना जिससे चोटे आना। जिसके संबंध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 667/20 धारा 279, 338 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 14.09.20 को वादी श्री श्रव । पा डेय पुत्र राधेश्याम नि० कजियाना थाना रा०ज०भू० अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि शिवा पा डेय पुत्र रोशन पा डेय नि० कजियाना थाना रा०ज०भू० अयोध्या आदि 02 नफर अभि०ग० द्वारा घर में घुसकर वादी को मारना पीटना तथा गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके संबंध में थाना रा०ज०भू० में मु०अ०सं० 113/20 धारा 452, 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 14.09.20 को वादी श्री प्रिन्स कुमार पुत्र विजय पाल नि० बल्ली कृपालपुर थाना तारुन अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन चालक अवनीश कुमार पुत्र कन्नू नि० नसरतपुर थाना तारुन अयोध्या अभि० द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के पिता को टक्कर मार देना जिससे घायल हो जाना। जिसके संबंध में थाना तारुन में मु०अ०सं० 367/20 धारा 279, 337 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 14.09.20 को वादी उ०नि० श्री राजेश कुमार मिश्रा थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि धीरेन्द्र कुमार पुत्र जगन्नाथ पासी नि० पलिया लोहानी थाना इनायतनगर अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु०अ०सं० 583/20 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 14.09.20 को वादी का० नीलेश कुमार थाना ख डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रामतीरथ पुत्र रामु आधार नि० मोहम्मदपुर थाना ख डासा अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना ख डासा में मु०अ०सं० 384/20 धारा 60(1) आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 14.09.20 को वादी का० नीलेश कुमार थाना ख डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मंगल पुत्र सुकई नि० मोहम्मदपुर थाना ख डासा अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना ख डासा में मु०अ०सं० 385/20 धारा 60(1) आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 14.09.20 को वादी का० राहुल जायसवाल थाना ख डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि छज्जू पुत्र बहोरे नि० उस्मानपुर डीली सरैया थाना ख डासा अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 05 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना ख डासा में मु०अ०सं० 386/20 धारा 60(1) आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
8. दिनांक 14.09.20 को वादी उ०नि० श्री राम खिलाड़ी थाना को०रुदौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि शिवा पुत्र राम सेवक रावत नि० बेतौली थाना को०रुदौली अयोध्या गिर० आदि 03 नफर शिवा के कब्जे से 19 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०रुदौली में मु०अ०सं० 350/20 धारा 60(2) आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
9. दिनांक 14.09.20 को वादी श्री श्रव । कुमार अवर अभियंता 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र बाबा बाजार थाना मवई अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मो० सईद पुत्र मो० जहीर नि० चन्द्राम थाना मवई अयोध्या आदि 12 नफर विद्युत विच्छेदक के उपरान्त भी अभि०ग० द्वारा पुनः कनेक्शन जोड़ कर विद्युत का उपभोग करना। जिसके संबंध में थाना मवई में मु०अ०सं० 399/20 से 410/20 धारा 138बी विद्युत अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।